

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
घोड़ाखाल रोड, भवाली, जिला— नैनीताल, पिन- 263132

अल्पकालीन निविदा सूचना

अकादमी पुस्तकालय के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2010–11 में कारपेट की आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रतिष्ठित/ख्याति प्राप्त फर्मों से मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। मुहरबन्द निविदा लिफाफे के ऊपर कारपेट आपूर्ति हेतु निविदा लिखना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र ₹500+13.5%VAT = ₹568/- नकद भुगतान कर अकादमी कार्यालय से कार्यालय समय में दिनाक 14.01.2011 से दिनांक 28.01.2011 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाएँ उसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे तक स्वीकार होंगी तथा 03:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख अकादमी कार्यालय में खोली जाएँगी। निविदा के साथ ₹30,000/- (तीस हजार मात्र) की धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर./एन०एस०सी०/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में बन्धक हो लगाया जाना अनिवार्य है। निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों का अध्ययन भली-भौति कर लिया जायें। निविदा के नियम एवं शर्तों का अवलोकन मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://highcourt oft uttarakhand.gov.in> तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) की वेबसाइट www.ua.nic.in पर भी किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री
सहायक निदेशक

कारपेट की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

प्रपत्र का बैट सहित मूल्य ₹568 प्रति

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

प्रपत्र सं0.....

कार्यालय की मुहर

1. फर्म का नाम :
 2. फर्म के स्वामी का नाम
 3. फर्म का स्थानीय पता
(दूरभाष संख्या सहित)
 4. फर्म का स्थायी पता
 5. व्यापार कर
 6. धरोहर धनराशि का विवरण : –
 - (अ) राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम
 - (ब) एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 / बैंक ड्राप्ट संख्या
 - (स) धनराशि
 7. अन्य प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हैं
 8. कारपेट+लिटलॉन का फिक्सिंग सहित प्रति वर्ग फिट (सभी करों सहित) दर.....
-

निविदादाता फर्म की मुहर एवं

हस्ताक्षर

[Signature]

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2010-11 के
लिए कारपेट की आपूर्ति हेतु निविदा के नियम एवं शर्तें

1. फर्म का ट्रेड टैक्स विभाग का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी।
2. आयकर विभाग का पैन कार्ड की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
3. फर्म का गत वर्ष का वार्षिक टर्न-ओवर कम से कम ₹15 लाख होना अनिवार्य है।
4. सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार का दोष आने पर कार्यपूर्ति प्रतिभूति में से कटौती की जायेगी।
- 5- निविदादाता फर्म को निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला- नैनीताल के पक्ष में ₹30,000.00 (तीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०/ बैंक ड्रापट बंधक किया जाना आवश्यक होगा। जिसकी बैंधता निविदा की अन्तिम बैंध अवधि के पश्चात् कम से कम 45 दिन तक होना अनिवार्य है।
6. आपूर्ति की जाने वाली कारपेट की विशिष्टियाँ (Specifications) इस प्रकार रहेंगी :-
 - i- Yarn : Acrylic 2 ply
 - ii- Backing : Cotton Cloth
 - iii- Wool Wt./SQ.MTR- 1200gm.. PILE HEIGHT- 11.75 m.m.
 - iv- Litton - 8 m.m.
 - v- Solution - fevicol SR 998

निविदादाता फर्म को निविदा के साथ कारपेट व लिटलॉन के नमूने (Sample) भी प्रेषित करने होंगे।
7. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 28.01.2011 है। उक्त तिथि को अपराह्न 02.00 बजे तक निविदा प्रस्तुत की जा सकती है तथा अपराह्न 03.00 बजे निविदायें अकादमी कार्यालय में उपरिथित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।
- 8- निविदादाताओं के द्वारा दरे सभी करों सहित प्रस्तुत की जायेंगी।
- 9- आपूर्ति किये गये सामग्री की वारंटी एक वर्ष हेतु होगी और वारंटी अवधि में किसी भी प्रकार से कटी-फटी होने पर सामग्री को बदलने का दायित्व आपूर्तिकर्ता फर्म का होगा।
10. सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टिता का परीक्षण क्रय समिति द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता होने पर सामग्री गुणवत्ता के सम्बन्ध में तकनीकी विशेषज्ञों से सामग्री का परीक्षण कराया जा सकता है। क्रय समिति का निर्णय सभी निविदादाताओं को मान्य होगा।
11. फर्म द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
12. किसी भी विवाद अथवा परिस्थिति में निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

Sureesh
सहायक निदेशक